रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2012/चैत्र 11, 1934
No. 620] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2012/CHAITRA 11, 1934

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2012

का.आ. 707(अ).— निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही सं.318/सीएस/1/2012-सीसी एंड बीई तारीख 5 मार्च, 2012 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पंद्रह राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यो से राज्य सभा में आसीन सदस्यो की निवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए अठावन सदस्यों को निर्वाचित करने का अनुरोध करते हुए एक अधिसूचना जारी किए जाने की सिफारिश की है ;

और निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 407(अ) तारीख 12 मार्च 2012 उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट पंद्रह राज्यों की विधान सभाओं, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ झारखंड राज्य भी है, जिसमें दो सदस्यो को निर्वाचित किया जाना अपेक्षित है, के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा मे आसीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 2012 को रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए, अनुरोध करते हुए जारी की गई है ।

और निर्वाचन आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना सं. 318/1/2012(1) तारीख 12 मार्च, 2012 द्वारा उपरोक्त सभी द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम नियत किया है और उक्त अधिसूचना द्वारा झारखंड राज्य से राज्य सभा में दो स्थानों को भरने के लिए 30 मार्च, 2012 को मतदान कराया जाना नियत किया है ।

और निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही सं. 318/सीएस-जेकेडी/2012-सीसी एंड बीई, तारीख 30 मार्च, 2012 द्वारा (प्रति इस अधिसूचना के उपाबंध के रूप में संलग्न है) पूर्वोक्त उपाबंध में उल्लिखित कतिपय अनियमितताओं का संप्रेक्षण करते हुए झारखंड राज्य में राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संचालन के संबंध में माननीय राष्ट्रपति को एक विस्तृत सिफारिश भेजी है और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन माननीय राष्ट्रपति को यह सिफारिश की है कि वे उक्त अधिसूचना को, जहां तक उस अधिसूचना का संबंध राज्य सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अनुरोध करने से है, विखंडित कर दें ।

और इस संबंध में की गई निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि अधिसूचना संख्यांक 407 (अ), तारीख 12 मार्च, 2012 को, जहां तक उसका संबंध राज्य सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अनुरोध करने से है, विखंडित किया जाए ।

अतः, अब, राष्ट्रपति अधिसूचना संख्यांक 407 (अ), तारीख 12 मार्च, 2012 का, जहां तक उसका संबंध राज्य सभा के दो सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अनुरोध करने से है, भागतः विखंडित करती है और तदनुसार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, झारखंड राज्य से संबंधित क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एच-11024(1)/2012-वि. 2]
डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

उपाबंध

झारखंड राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन : के मामले में

कार्यवाहियां

झारखंड राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के दो संदस्यों, अर्थात् श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया और सुश्री मेबेल रेबेलो, अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 2012 को निवृत्त होने वाले हैं । उपरोक्त दो सदस्यों की निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाली दो रिक्तियों को भरने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षिप्त में "1951-अधिनियम") की धारा 12 के निबंधनों के अनुसार जारी की गई अधिसूचना सं. 318/1

/2012 (1), तारीख 12 मार्च, 2012 द्वारा द्विवार्षिक निर्वाचन की मांग की गई थी । उसी अधिसूचना द्वारा, माननीय राष्ट्रपति ने 14 अन्य राज्यों से द्विवार्षिक निर्वाचन कराने की भी मांग की थी । निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम की धारा 39 और धारा 56 के अधीन जारी की गई अपनी अधिसूचना सं. 318/1 /2012 (1), तारीख 12 मार्च, 2012 द्वारा उपरोक्त सभी द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम नियत किया था । उस अधिसूचना द्वारा 19 मार्च, 2012 नामांकन फाइल करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में नियत की गई थी। नामांकनों की संवीक्षा 20 मार्च, 2012 को नियत की गई थी, अभ्यर्थियों के नाम 22 मार्च, 2012 तक वापस लिए जाने की अनुमति दी गई थी और मतदान, यदि आवश्यक हो, 30 मार्च, 2012 को कराए जाने के लिए नियत किया गया था । झारखंड से उक्त दो रिक्तियों को भरने के लिए, निम्नलिखित पांच निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र फाइल किए हैं :-

क्रम सं.	नाम	दल से सम्बन्धता यदि कोई हो
1.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	झारखंड विकास मोर्चा
2.	श्री प्रदीप कुमार बालमुचू	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	श्री संजीव कुमार	झारखंड मुक्ति मोर्चा
4.	श्री पवन कुमार धूत	निर्दलीय
5.	श्री राजकुमार अग्रवाल	निर्दलीय

तदनुसार, झारखंड राज्य से उपरोक्त दो स्थानों को भरने के लिए मतदान 30 मार्च, 2012 को कराए जाने के लिए नियत किया गया था ।

2. 26 मार्च, 2012 को, श्री गुरूदास दास गुप्ता, संसद् सदस्य ने आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया ने ऐसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के

भाग्य का विनिश्चय करने के लिए 'धनशक्ति' का उपयोग किए जाने के बारे में प्रबल और ठोस आशंकाओं का सुझाव दिया है, जो राज्य और उसकी जनता के हितों के लिए हानिकारक है । उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की एक सर्वाधिक सम्मानजनक संस्था, राज्य सभा मे प्रवेश के लिए दोषपूर्ण विधान सभा सदस्यों के मतों को प्राप्त करने के लिए 'खरीद फरोख्त' के बारे में गंभीर आशकाए अभिव्यक्त करने वाली प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया में अनेक रिपोर्टों का हवाला दिया था । उन्होने यह और कथन किया कि भारतीय लोकतंत्र को इस आसन्न संकट की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होने लोक सभा के पटल पर 26.3.2012 को उसकी कार्यवाहियों के दौरान इस मामले को विशेष मामले के रूप मे उठाया था । 2010 में हुए झारखंड से राज्य सभा के लिए पिछले द्विवार्षिक निर्वाचन के पूर्व इतिहास का संदर्भ देते हुए उन्होंने यह उल्लेख किया कि झारखंड में विशाल वित्तीय हैसियत वाले लोगों द्वारा विधान सभा सदस्यों को प्रभावित करके अपने पक्ष में मत डलवाने का बेतुका चलन है और झारखड के सतर्कता आयुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अधीन चार विधान सभा सदस्यों अर्थात् सर्वश्री राजेश रजन, उमा शंकर अकेला, साइमन मरांडी और टेक लाल महतो के विरूद्ध उस निर्वाचन में कतिपय अभ्यर्थियों के पक्ष मे मतदान के लिए धन स्वीकार करने के लिए एक एफ आई आर. फाइल की थी । उन्होंने आयोग को रिपोर्टों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का अनुरोध किया है और झारखड मे निर्वाचन लड़ने वालो के वर्गों द्वारा राज्य सभा निर्वाचनों के परिणाम उनके पक्ष में सुनिश्चित करने के लिए 'धनशक्ति' का मुक्त रूप से इस्तेमाल करने की दृष्टि से प्रयास किए गए गंभीर अपसरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी और यह माग की कि झारखड राज्य से द्विवार्षिक निर्वाचन की वर्तमान प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए नए सिरे से प्रक्रिया के लिए नई अधिसूचना जारी की जाए । अपने उपरोक्त अभिकथन के समर्थन में उन्होंने ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो की एक सूची भी प्रस्तुत की थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाती है कि दो निर्दलीय अभ्यर्थियों के नामाकन पत्रों को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अनेक विधान सभा सदस्यो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जब कि उन दलों ने निर्वाचनों में स्वयं अपने अभ्यर्थियो को खडा किया हुआ था ।

3. 27 मार्च, 2012 को, श्री बाबू लाल मरांडी ससद् सदस्य (झारखंड के पूर्व मुख्यमत्री) ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से भेंट की और 'खरीद फरोख्त' की लगभग उन्हीं आशंकाओं को दोहराते हुए जो श्री गुरूदास दास गुप्ता के तारीख 26 3 2012 के उपरोक्त पत्र में उठाई गई थीं, अपने और डा. अजॉय कुमार, संसद् सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । उन्होंने यह भी कथन किया कि 'धनशक्ति वाले कतिपय लोगों द्वारा किए जा रहे सदिग्ध साधनों द्वारा हमारी संसदीय प्रणाली को प्रभावित करने का बर्बरतापूर्ण प्रयास, जो यदि अनुज्ञात किया जाता है, तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है' और आयोग से इस स्थिति पर ध्यान देने तथा झारखंड में राज्य सभा के निर्वाचन के लिए चल रही प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की अपील की थी ।

4. श्री बाबू लाल मराडी के उक्त पत्र के पश्चात् श्री शरद यादव, संसद् सदस्य से तारीख 27.3.2012 को एक पत्र प्राप्त हुआ था । उन्होंने भी कुछ अभ्यर्थियो द्वारा अपने निर्वाचन को सुरक्षित करने के लिए दोषपूर्ण विधान सभा सदस्यों के मतों को प्राप्त करने के लिए खरीद फरोख्त करने तथा धनशक्ति का प्रयोग तथा सहारा लेने के बारे में उन्हीं आशंकाओं को उठाया था ।

5. आयोग ने, झारखंड से राज्य सभा के चालू द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में धनशक्ति और खरीद फरोख्त किए जाने की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण संसद् सदस्यो द्वारा उठाई गई उपरोक्त आशंकाओं पर सम्यक् विचार किया और अपने पत्र सं. 61/सीएस-जेकेडी/2012-सीसी एंड बीई, तारीख 27 मार्च, 2012 द्वारा झारखंड सरकार, रांची के मुख्य सचिव को यह अनुदेश दिया था कि वह राज्य में सभी संबंधित प्राधिकारियों को स्थिति पर कड़ी और सतर्कतापूर्ण नजर रखने का अनुदेश दे, जिससे ऐसी किसी घटना को रोका जा सके और ऐसे किसी क्रियाकलापों में संलिप्त पाए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अधीन कड़ी कार्रवाई भी की जाए । मुख्य आयकर आयुक्त, झारखंड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखंड को भी इसी प्रकार सतर्क किया गया था ।

6. 30 मार्च, 2012 को प्रातः अर्थात् मतदान के दिन, मुख्य आयकर आयुक्त, झारखंड क्षेत्र ने अपने पत्र सं. सीसीआईटी/आरएएन/स्था./निर्वाचन/2011-12/12111, तारीख 30.3.2012 द्वारा आयोग को यह रिपोर्ट दी कि उसके संपूर्ण विभाग को निर्वाचनों के दौरान खरीद फरोख्त करने तथा धनशक्ति की संभावना के बारे में अवगत कराए जाने पर, उनके विभाग को 29 मार्च, 2012 को देर रात्रि में किसी विश्वसनीय स्रोत से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्वाचन के संबंध मे वितरण के प्रयोजन के लिए जमशेदपुर से रांची में नकद ले जाया जाएगा । इसलिए जिला पुलिस प्राधिकारियो की सहायता से, रामपुर हाट में जमशेदपुर - रांची राजमार्ग (रारा-33) पर संदेहजनक वाहनों के आवागमन की जांच करने के लिए एक पिकेट लगाई गई थी । लगभग 06.30 बजे प्रातः, यह सूचना प्राप्त हुई थी कि रजिस्ट्रेशन सं.जेएच 01 एसी 2085 वाली एक इनोवा कार सुधांशु त्रिपाठी नामक व्यक्ति सहित, श्री आर. के. अग्रवाल, निर्वाचन में निर्दलीय अभ्यर्थी की ओर से निर्वाचन के संबंध में वितरण के प्रयोजनों के लिए बेहिसाब नकद ले जा रही है । परिणामस्वरूप आयकर आयुक्त द्वारा वाहन की तलाशी लेने के लिए वारंट प्राधिकार जारी किया गया था और वाहन की तलाशी में 2.15 करोड़ रु. (दो करोड़ पंद्रह लाख रुपए) प्राप्त हुए थे । नकद श्री सुधांशु त्रिपाठी द्वारा ले जाई जा रही थी, जो शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड का, जिसका कार्यालय चाईबासा और जमशेदपुर में है, कर्मचारी है । मामले में की गई आगे की जांचों में निम्नानुसार प्रकट हुआ :-

'(i) प्रथम दृष्टया, वाहन में पाए गए नकद का स्रोत अस्पष्ट है और वह अभिग्रहण के लिए दायी है ।

(ii) अब तक श्री त्रिपाठी ने यह कथन किया है कि नकद उसे राज्य सभा निर्वाचन के लिए निर्दलीय अभ्यर्थियों में से एक श्री आर.के. अग्रवाल के दामाद श्री सौमित्र साह द्वारा सौंपी गई था । उसे रांची में फोर्ड आईकान शोरूम के स्वामी उज्जवाल नामक व्यक्ति को सौंपा जाना था ।

1201 GI/12-2

(iii) संदर्भाधीन वाहन श्री आर के अग्रवाल के भाई श्री सुरेश कुमार अग्रवाल के नाम में है ।

(iv) पाया गया नकद स्पष्ट स्रोत के बिना प्रतीत होता है और उसके वास्तविक स्रोत का पता लगाने के प्रयास जारी हैं ।'

7. रिपोर्ट यह और दर्शित करती है कि उपरोक्त वाहन को रोकने के पश्चात्, यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बेहिसाब नकद ले जाने वाले दो और वाहन भी उस रोके गए वाहन के पीछे जमशेदपुर से आ रहे थे और वे दोनों वाहन आयकर विभाग द्वारा पहले वाहन को रोके जाने को देखकर अभिकथित नकद के साथ जमशेदपुर वापस लौट गए थे । पश्चातवर्ती दोनों वाहनों में रखे गए नकद को रिपोर्ट किए गए अनुसार जमशेदपुर में एक व्यक्ति श्री प्रकाश खेमानी के निवास पर सौंपा गया था । आय-कर आयुक्त, जमशेदपुर द्वारा जारी किए गए तलाशी के प्राधिकार से श्री खेमानी के निवास पर एक तलाशी की कार्रवाई आरंभ की गई है और जमशेदपुर में श्री खेमानी तथा शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड के कार्यालय परिसरों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं । उपरोक्त रिपोर्ट के समय तलाशी तथा सर्वेक्षण, दोनों कार्रवाइयां चल रही थीं ।

8. इसी प्रभाव की एक रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची तथा उपायुक्त-जिला मजिस्ट्रेट, रांची से भी प्राप्त हुई थी ।

9. उपरोक्त निर्वाचन के लिए मतदान नियत किए गए अनुसार आज (30 मार्च, 2012) को कराया गया था । रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि झारखंड विधान सभा के 81 सदस्यों (एक स्थान रिक्त है) में से 79 सदस्यों ने आज मतदान में अपने मत डाले । उन्होंने यह और रिपोर्ट दी है कि मतदान के दौरान तीन मतदाताओं अर्थात् श्री विष्णु भईया (झारखंड मुक्ति मोर्चा के), श्री के.एन. त्रिपाठी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के) और श्री सुरेश पासवान (राष्ट्रीय जनता दल के) ने अपने मतपत्रों को उनके संबंधित दल अभिकर्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को दिखाया था और इस प्रकार विहित मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया है । इससे यह प्रबल संदेह पैदा होता है कि उपरोक्त तीनों विधान सभा सदस्यों के मत उस अभिकथित खरीद फरोख्त द्वारा प्रभावित रहे हों, जिसके बारे में सर्वश्री गुरूदास दास गुप्ता, बाबु लाल मंराडी और शरद यादव द्वारा प्रबल आशंकाएं उठाई गई थीं ।

10. रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के पश्चात् झारखंड के पांच वामपंथी दलों अर्थात्, सीपीआई, सीपीआई(एम), फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनशन कमेटी की ओर से एक अन्य अभ्यावेदन, तारीख 30 मार्च, 2012 प्राप्त हुए जिसमे कथन किया गया था कि झारखंड से राज्य सभा निर्वाचन में मत खरीदने हेतु कुछ अभ्यर्थियो द्वारा बड़ी मात्रा मे धन खर्च किया जा रहा है तथा उसमें आयोग से यह अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे तथा झारखड में राज्य सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया को रोक दें, ताकि निर्वाचन में 'मत के लिए नकद' को हतोत्साहित करने के लिए अनुकरणीय कदम उठाया जा सके ।

11. आयोग ने संपूर्ण स्थिति का अत्यत सावधानी से विश्लेषण और परीक्षण किया है । यह वर्णन करना उचित होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अधीन किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से निर्वाचन के लिए 'रिश्वत' देना कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे अथवा ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना भी निर्वाचन अपराध है, और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दंडनीय है । निर्वाचनों में ऐसी 'रिश्वत' लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के अधीन भी एक भ्रष्ट आचरण है जिसका परिणाम निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन को शून्य घोषित करना हो सकता है और ऐसे भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए अभ्यर्थी को राष्ट्रपति द्वारा आयोग की सिफारिश पर छह वर्ष की और अवधि के लिए भी निरर्हित किया जा सकता है ।

12. 'रिश्वत' को निर्वाचन अपराध और भ्रष्ट आचरण बनाने वाले विधि के उपर्युक्त उपबंध निर्वाचन प्रक्रिया की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के प्रकट उद्देश्य के लिए किए गए हैं । इस संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य सभा के निर्वाचनों में निर्वाचन की अक्षुण्णता को हमारे संसद् के निर्वाचनो की स्कीम में प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसके द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन की मतदान पद्धति को खुला क्रियाकलाप बनाकर निर्वाचन की अक्षुण्णता के सिद्धांत को मतदान की गोपनीयता से उच्चता प्रदान की गई है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 का परंतुक देखें) । निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 39कक के अधीन राज्य सभा के निर्वाचनों में मतदान के समय किसी राजनैतिक दल से संबंधित प्रत्येक निर्वाचक (विधान सभा सदस्य) को मत पेटी में मतपत्र डालने से पूर्व मतपत्र को उसके दल के प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपना चिन्हित मतपत्र दर्शित करना होगा तथा उसके दल के प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपना चिन्हित मतपत्र दर्शित करने से उसके द्वारा इंकार उसके मतपत्र को निरस्त करने का दायी बना देगा । जब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 40) द्वारा उपरोक्त परंतुक के अंतःस्थापन द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन मे मतदान की प्रक्रिया को खुला बनाया गया था, तब विधेयक से उपाबद्ध उद्देश्यों और कारणों के कथन में निम्नलिखित कथन किया गया था :-

"

2. संसद् की नीति विषयक समिति ने 8 दिसंबर, 1998 को संसद् में प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट के पैरा 19 में यह सिफारिश की थी कि राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली से संबंधित विवाद्यक का परीक्षण किया जाए । इस विवाद्यक ने मार्च-अप्रैल, 2000 में आयोजित राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनो के संबध में मीडिया मे लगाए गए धन शक्ति के आरोपों के परिणामस्वरूप चिंता पैदा कर दी है ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त विवाद्यको की सरकार द्वारा गहन परीक्षा की गई थी और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए किसी विशेष राज्य या संघ

राज्यक्षेत्र का निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त करने तथा **राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए खुली-मतदान प्रणाली आरंभ करने का भी** विनिश्चय किया गया है ।"

पूर्व में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रघबीर सिंह गिल बनाम गुरचरन सिंह तोहड़ा (ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1362) के मामले में इसी सिद्धात पर जोर दिया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि "यद्यपि निःसंदेह स्वतत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने का प्रमुख सिद्धांत गुप्त मतदान है, तथापि, स्वतंत्र और निष्पक्ष **निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन की अक्षुण्णता का बृहद लोक हित में सहायक होना विधि में स्थापित है,** .... उनका सह-अस्तित्व हो सकता है, किन्तु जैसा पूर्व में कथन किया गया है, जहां एक का प्रयोग दूसरे को नष्ट करने के लिए किया जाता है, वहां प्रथम सिद्धांत को बृहद **लोक हित में निर्वाचन की अक्षुण्णता के सिद्धांत के सम्मुख झुक जाना चाहिए** ।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2003 में अंतःस्थापित धारा 59 के उपरोक्त परंतुक की विधिमान्यता की परीक्षा करते समय, कुलदीप नायर बनाम भारत संघ और अन्य (ए.आई.आर. 2006 एस.सी.3127) के मामले में इसी प्रकार अभिनिर्धारित किया कि :

"मतदान की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख सिद्धांत है । **तथापि, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन तथा निर्वाचनों की अक्षुण्णता उच्चतर सिद्धांत है** । यदि गोपनीयता भ्रष्टाचार का स्रोत बन जाती है तो खुलापन और पारदर्शिता में इसे दूर करने की क्षमता है । हम केवल यह कह सकते हैं कि इस विधायी नीति के अनुसरण में कि पारदर्शिता उस बुराई को दूर करेगी जो पैदा हो गई है, विधान से स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का बृहद उद्देश्य पूर्ण होने की आशा की जा सकेगी ।"

14. संसद् द्वारा यथामान्य उपर्युक्त अक्षुण्णता के सिद्धांत, जिसमें राज्य सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया को खुला क्रियाकलाप बनाया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट दो निर्णयों द्वारा इसे देश में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक मान्यता मिली है, को ध्यान मे रखते हुए आयोग के लिए उपर्युक्त सिद्धांत सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है और आयोग द्वारा इसकी अलंघनीयता को बनाए रखा और परिरक्षित किया जाना चाहिए । संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में निर्वाचन आयोग के गठन का अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद् और राज्य विधायिकाओं के लिए निर्वाचन स्वतत्र और निष्पक्ष रीति में संचालित हों **जहां निर्वाचनों की अक्षुण्णता सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है** । मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 851) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराए जाने पर भी अत्यधिक जोर दिया है तथा यह संप्रेक्षण किया है कि संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के वर्धन के प्रकट प्रयोजन के लिए कार्य करने हेतु शक्ति का एक भंडार है और "जहां ये (अधिनियमित विधियां) विद्यमान नहीं हैं, तथा फिर भी किसी स्थिति का हल निकालना है,

तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसी स्थिति का हल निकालने के लिए शक्ति अनुदत्त करने हेतु अपने कृत्यों को करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए हाथ जोड़ने और दैवीय प्रेरणा हेतु ईश्वर से प्रार्थना करने या किसी बाहरी प्राधिकारों की ओर देखना नहीं पड़ेगा ।'

15. आयोग को व्यादेश देने वाली उपर्युक्त संवैधानिक और विधिक स्थिति पर ध्यान देते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने तथा निर्वाचन की अक्षुण्णता बनाए रखने के कर्तव्य तथा वर्तमान मामले के सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि झारखंड से राज्य सभा निर्वाचन के लिए वर्तमान निर्वाचन प्रकिया गंभीर रूप से दूषित हो गई है तथा इसका आगे बढ़ना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । तदनुसार, आयोग, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 तथा इस निमित्त समर्थकारी अन्य सभी शक्तियों के अधीन माननीय राष्ट्रपति से अधिसूचना सं. 318/1/2012(1), तारीख 12 मार्च, 2012 को, जहां तक वह अधिसूचना राज्य सभा के लिए झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से दो सदस्यों के निर्वाचन का अनुरोध करने से संबंधित है, विखंडित करने की सिफारिश करता है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(वी.एस.सम्पत)	(डा एस.वाई कुरैशी)	(एच.एस.ब्रह्म)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सं.318/सीएस-जेकेडी/2012-सीसीएंडबीई

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2012

S.O. 707(E).—Whereas the Election Commission *vide* its proceeding No.318/CS/1/2012-CC&BE dated 5th March, 2012 has recommended issue of a Notification by the President under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) (herein referred to as the said Act) calling upon the elected members of the Legislative Assemblies of fifteen States to elect fifty-eight members to fill the seats in the Council of States to be caused vacant due to the retirement of sitting members;

1201 6012-3

And whereas in pursuance of the recommendations of the Election Commission, a notification number S.O.407 (E), dated the 12th March, 2012, has been issued by the President calling upon the elected members of the Legislative Assemblies of fifteen States specified in the said notification which, *inter alia,* included the State of Jharkhand wherein two members were required to be elected for filling the seats becoming vacant on the 2nd April, 2012 in the Council of States on expiration of the term of office of the sitting members;

And whereas the Election Commission has, *inter alia,* fixed the schedule for all the above-mentioned biennial elections by its Notification No.318/1/2012(1), dated 12th March, 2012, issued under sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act and by the said notification, fixed the poll to be taken on 30th March, 2012 to fill the two seats in the Council of States from the State of Jharkhand;

And whereas the Election Commission *vide* its proceedings No. 318/(S)/JKD/2012-CC&BE dated 30th March, 2012 (copy annexed as Annexure to this Notification), has forwarded a detailed recommendation to the Hon'ble President regarding the conduct of the biennial elections to the Council of States in the State of Jharkhand making observations of certain irregularities mentioned in the aforesaid Annexure and recommended under article 324 of the Constitution read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) to the Hon'ble President that she may be pleased to rescind the said notification in so far as that notification relates to the calling upon the elected members of the Jharkhand Legislative Assembly to elect two members to the Council of States;

And whereas on considering the recommendations of the Election Commission, made in this regard, the President is satisfied that the notification number S.O.407 (E), dated the 12th March, 2012 may, in so far as it relates to calling upon the elected members of the Jharkhand Legislative Assembly to elect two members to the Council of States, be rescinded;

Now, therefore, the President is pleased to partially rescind the notification number S.O.407 (E), dated the 12th March, 2012, in so far as it relates to calling upon the elected members of the Jharkhand Legislative Assembly to elect two members to the Council of States and accordingly makes the following amendment in the said Notification, namely:-

In the said Notification, in the TABLE, Sl. No.7 relating to the State of Jharkhand and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. H-11024(1)/2012-Leg. II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEXURE

In re: Biennial election to the Council of States from the State of Jharkhand.

PROCEEDINGS

Two members of the Council of States, namely, Shri Surendrajeet Singh Ahluwalia and Ms. Mabel Rebello, elected from the State of Jharkhand are due to retire on 2nd April, 2012, on the expiration of their term. A biennial election to fill the two vacancies arising on the retirement of the above said two members was called by the Hon'ble President vide notification No.318/1/2012(1) dated 12th March, 2012, issued in terms of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (for short '1951-Act'). By the same notification, the Hon'ble President was also pleased to call the biennial elections from 14 other States. The Election Commission fixed the schedule for all the abovementioned biennial elections by its Notification No.318/1/2012(1), dated 12th March, 2012, issued under Sections 39 and 56 of the said Act. By that Notification, 19th March, 2012, was fixed as the last date for filing nominations, scrutiny of nominations was scheduled on the 20th March, 2012, withdrawal of candidatures was permitted upto 22nd March, 2012, and the poll, if necessary, was scheduled to be held on 30th March, 2012. For

filling the said two vacancies from Jharkhand, the following five contesting candidates have filed their nominations:-

S.No.	Name	Party affiliation, if any
1.	Shri Pravin Kumar Singh	Jharkhand Vikash Morcha
2.	Shri Pradip Kumar Balmuchu	Indian National Congress
3.	Shri Sanjiv Kumar	Jharkhand Mukti Morcha
4.	Shri Pawan Kumar Dhoot	Independent
5.	Shri Raj Kumar Agarwal	Independent

Accordingly, the poll from the State of Jharkhand to fill the abovementioned two seats was scheduled to be taken on 30th March, 2012.

2. On 26th March, 2012, Shri Gurudas Das Gupta, Member of Parliament submitted a representation to the Commission in which he mentioned that the electronic and print media suggested strong and tangible apprehensions about 'money power' coming into play to decide the destiny of such an important democratic process to the detriment of the interests of the State and its people. He cited various reports in the print and electronic media expressing serious apprehensions about 'horse trading' to garner votes of vulnerable MLAs to enter one of the most prestigious institutions of Indian democracy, the Council of States.

He further stated that in order to attract the Nation's attention to this imminent threat to Indian democracy, he raised the matter on the floor of the Lok Sabha during its proceedings on 26.03.2012 as a Special Mention. Referring to the past history of the last biennial election for Rajya Sabha from Jharkhand in 2010, he pointed out that there is a bizarre trend of the people with enormous financial clout influencing the MLAs in Jharkhand to vote in their favour and that the Jharkhand Vigilance Commissioner had, under instructions from the Election Commission of India, filed an FIR against four MLAs, namely, S/Shri Rajesh Ranjan, Uma Shankar Akela, Simon Marandi and Teklal Mahto, for accepting money for voting in favour of certain candidates at that election. He prayed to the Commission to take serious note of the reports and concerns about the grave aberrations being attempted by sections of contestants in Jharkhand with a view to unleashing 'money power' for ensuring the outcome of Rajya Sabha elections in their favour and demanded that the present process of biennial election from the State of Jharkhand be cancelled and fresh notification be issued for *de novo* process. In support of his above allegation, he also submitted a list of the contesting candidates, which *inter alia* showed that the nomination papers of the two independent candidates had been proposed by several MLAs belonging to recognized political parties when those parties had themselves set up their candidates for the elections

3. On 27th march, 2012, Shri Babu Lal Marandi, Member of Parliament (Ex-Chief Minister of Jharkhand) called on the Commission with a delegation and presented a Memorandum signed jointly by him and Dr. Ajoy Kumar, Member of Parliament, echoing almost the same apprehensions of 'horse trading' as were raised in the above referred letter dated 26.03.2012 of Shri Gurudas Das Gupta. He also stated that 'barbarous attempt to manipulate our Parliamentary system through dubious means being made by certain people possessing money power, which if allowed, is sure to be replicated in other States as well' and appealed to the Commission to take note of the situation and cancel the ongoing process for election to Rajya Sabha in Jharkhand immediately.

4. The above letter of Shri Babu Lal Marandi was followed by a letter dated 27.03.2012 from Shri Sharad Yadav, Member of Parliament. He also raised the same apprehensions about horse trading and money power being used and resorted to by some candidates for garnering votes of vulnerable MLAs to secure their election.

5. Taking due note of the above apprehensions raised by important Members of Parliament about the role of money power and horse trading in connection with the ongoing biennial to the Rajya Sabha from Jharkhand, the Commission instructed vide its letter No. 61/CS-JKD/2012-CC&BE, dated 27th March, 2012 the Chief Secretary to the Government of Jharkhand, Ranchi, to instruct all the concerned

authorities in the State to keep a strict and vigilant watch on the situation so as to prevent any such incident and also to take strict action under the law against anybody found indulging in such activities. The Chief Commissioner of Income Tax, Jharkhand and Chief Electoral Officer, Jharkhand were also alerted likewise.

6. On the morning of 30th March, 2012, i.e., the day of poll, the Chief Commissioner of Income Tax, Jharkhand Region, reported to the Commission by his letter No. CCIT/RAN/Estt./Election/2011-12/12111, dated 30.03.2012, that on his entire department being sensitized to the possibility of horse trading and money power during the elections, his department received information from a reliable source late in the night of 29th March, 2012 that cash would be transported from Jamshedpur to Ranchi for the purpose of distribution in connection with the election. Therefore, with the help of the district police authorities, a picket was placed on Jamshedpur – Ranchi highway (NH-33) at Rampur Haat to check the movement of suspicious vehicles. At around 06.30 a.m., information was received that an Innova Car bearing registration No. JH O1 AC 2085 with a person named Sudhanshu Tripathy was carrying unaccounted cash for the purposes of distribution in connection with the election on behalf of Shri R.K. Agarwal, an independent candidate in the election. Consequently, a warrant authorization was issued by the Commissioner of Income Tax to search the vehicle and that the search of the vehicle yielded cash of Rs.2.15 crores (Rupees two crores fifteen

lakhs). The cash was being carried by Shri Sudhanshu Tripathy, who is an employee of Shah Sponge and Power Limited having its offices at Chaibasa and Jamshedpur. Further enquiries made into the matter revealed as follows:-

'(i) Prima facie, the source of the cash found in the vehicle is unexplained and is liable for seizure.

(ii) So far Mr. Tripathy has stated that the money was handed over to him by Mr. Soumitra Sah, Son-in-law of Mr. R. K. Agarwal, one of the independent candidates for Rajya Sabha election. The same was to be handed over to a person named Khandelwal, the owner of a Ford Ikon showroom at Ranchi.

(iii) The vehicle under reference is in the name of Shri Suresh Kr. Agarwal, brother of Shri R.K. Agarwal.

(iv) The cash found appears to be without clear source and efforts are on to detect its real source.'

7. That report further shows that after the interception of the abovementioned vehicle, credible information was received that two more vehicles carrying unaccounted cash were also following the intercepted vehicle from Jamshedpur and that those two vehicles went back to Jamshedpur alongwith the alleged cash noticing the interception of the first vehicle by the Income Tax Department. The cash in the subsequent two vehicles was reportedly handed over at the residence of

one Mr. Prakash Khemani at Jamshedpur. A search action has been initiated at the residence of Mr. Khemani and surveys are being conducted at the office premises of Mr. Khemani and Shah Sponge and Power Limited at Jamshedpur with the authorization of search issued by the Commissioner of Income Tax, Jamshedpur. At the time of the above report, both the search and survey operations were still in progress.

8. A report to the similar effect was also received from the Senior Superintendent of Police, Ranchi and Deputy Commissioner-District Magistrate, Ranchi.

9. The poll for the above election was taken today (30th March, 2012), as scheduled. The report of the Returning Officer shows that out of 81 members of the Jharkhand Legislative Assembly (one seat being vacant), 79 members cast their votes at the poll today. He has further reported that during the poll, three voters, namely, Shri Vishnu Bhaiya (of Jharkhand Mukti Morcha), Shri K.N. Tripathi (of Indian National Congress), and Shri Suresh Pashwan (of Rashtriya Janata Dal) showed their ballot papers to persons other than their respective party agents, and thus, violated the prescribed voting procedure. This raises a strong suspicion that the votes of the abovementioned three MLAs may have been influenced by the alleged horse trading about which strong apprehensions had been raised by S/Shri Gurudas Das Gupta, Babu Lal Marandi and Sharad Yadav.

10. The report of the Returning Officer was followed by another representation dated 30th March, 2012, on behalf of five Left parties in Jharkhand, namely, CPI, CPI (M), Forward Bloc, RSP and Marxist Coordination Committee, stating that huge money was being spent by some candidates to buy votes in the Rajya Sabha election from Jharkhand and requesting the Commission to intervene immediately in the matter and stop election process of Rajya Sabha in Jharkhand, so that exemplary step was taken to discourage 'cash for vote' in the election.

11. The Commission has very carefully analyzed and examined the whole situation. It may be worthwhile to mention that 'bribery' at elections to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or, even inducing or attempting to induce any person to exercise any such right is an electoral offence under section 171B of the Indian Penal Code, and is punishable with imprisonment of either description for a term extending upto one year or, with fine, or with both. Such 'bribery' at elections is also a corrupt practice under section 123(1) of the Representation of the People Act, 1951 which can result in the election of the returned candidate being declared void and the candidate found guilty of commission of such corrupt practice can also be disqualified by the President on the recommendation of the Commission for a further period of six years.

12. The above provisions in the law, making 'bribery' an electoral offence and a corrupt practice, have been made with the manifest object of ensuring purity of the election process. In this context, it may be apt to point out that purity of elections at elections to the Rajya Sabha has been given a prime place in the scheme of our elections to Parliament, whereby even the secrecy of votes has yielded to the principle of purity of election by making the polling process at the elections to the Rajya Sabha an open exercise (see proviso to section 59 of the Representation of the People Act, 1951). Under Rule 39AA of the Conduct of Elections Rules, 1961, at the time of the poll at elections to the Rajya Sabha, every elector (MLA) belonging to a political party has to show his marked ballot paper to the authorized representative of his party before inserting it into the ballot box and any refusal on his part to show his marked ballot paper to his party representative would render his ballot paper liable to rejection. When the voting process at elections to the Rajya Sabha was made open by the insertion of the abovementioned proviso to section 59 of the Representation of the People Act, 1951, by the Representation of the People (Amendment) Act, 2003 (No.40 of 2003), the Statement of Objects and Reasons appended to the Bill stated as follows:-

"……

2. The Ethics Committee of Parliament in paragraph 19 of its first report presented to Parliament on 8th December, 1998 recommended that the issue

relating to open-ballot system for elections to the Rajya Sabha be examined. The issue has again given rise to concerns in the wake of allegations of money power made in the media in respect to biennial elections to the Council of States held in March-April, 2000.

3. In the light of the above, the aforesaid issues were examined in depth by the Government and it has been decided to do away with the requirement of residence of a particular State or Union territory for contesting election to the Council of States from that State or Union territory and **also to introduce open-ballot system for elections to the Council of States.**"

Earlier, the same principle was stressed by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Raghbir Singh Gill Vs. Gurcharan Singh Tohra* (AIR 1980 SC 1362) whereby the Supreme Court had held that "Secrecy of ballot, though undoubtedly, the vital principle for ensuring free and fair elections, **it was enshrined in law to sub-serve the larger public interest, namely, purity of election for ensuring free and fair election**..... They can co-exist but as stated earlier, where one is used to destroy the other, the **first one must yield to the principle of purity of election in larger public interest**".

13. The Hon'ble Supreme Court while examining the validity of the abovementioned proviso to section 59 inserted in 2003, like-wise held in *Kuldip Nayar Vs. Union of India and Others* (AIR 2006 SC 3127):

"The secrecy of ballot is a vital principle for ensuring free and fair elections. The higher principle, however, is free and fair elections and purity of

elections. If secrecy becomes a source for corruption then sunlight and transparency have the capacity to remove it. We can only say that legislation pursuant to the legislative policy that transparency will eliminate the evil that has crept in would hopefully serve the larger object of free and fair elections."

14. Viewed in the light of the above principle of purity of election as upheld by the Parliament by making the process of election to the Rajya Sabha an open exercise, which has received judicial recognition at the Apex level in the country by the above referred two judgments of the Hon'ble Supreme Court, it becomes imperative on the part of the Commission to ensure that the above principle and its sacrosanctity must be maintained and preserved by the Commission. The very object underlying the constitution of the Election Commission as an independent constitutional authority under Article 324 of the Constitution is to ensure that the elections to Parliament and State Legislatures are conducted in a free and fair manner **where the purity of elections receives the highest priority**. The Hon'ble Supreme Court, in the case of *Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commissioner* and Others (AIR 1978 SC 851) has also laid great stress on the conduct of free and fair elections and has observed that Article 324 of the Constitution is a reservoir of power for the Election Commission to act for the avowed purpose of pushing forward a free and fair election and 'where these

(enacted laws) are absent, and yet a situation has to be tackled, the Chief Election Commissioner has not to fold his hands and pray to God for divine inspiration to enable him to exercise his functions and to perform his duties or to look to any external authority for the grant of power to deal with the situation'.

15. Having regard to the above constitutional and legal position enjoining upon the Commission the duty of conducting free and fair elections and upholding the purity of election and after taking into account all relevant facts and circumstances of the present case, the Commission is satisfied that the current election process for Rajya Sabha election from Jharkhand has been seriously vitiated and cannot be permitted to proceed. Accordingly, the Commission hereby recommends, under Article 324 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 and all other powers enabling it in this behalf, to the Hon'ble President that she may be pleased to rescind the notification No.318/1/2012(1) dated 12th March, 2012, insofar as that notification relates to the calling upon the elected members of the Jharkhand Legislative Assembly to elect two members to the Council of States.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(V.S. Sampath) Election Commissioner	(Dr. S.Y. Quraishi) Chief Election Commissioner	(H.S. Brahma) Election Commissioner

New Delhi the 30th March, 2012

No. 318/CS-JKD/2012-CC&BE

Printed by the Manager Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.